राजस्थान–सरकार

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

क्रमांकः–कि.गृह / निविदा / 2019–20 / 245 दिनांक :– 16/10/19

निविदा सूचना 03 / 2019–20

निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग,राजस्थान कार्यालय के क्षेत्राधिकार में स्थित सचालित राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर का निम्न कार्य जॉब बेसिस पर कराये जाने हेतु इच्छूक श्रम आपूर्ति कर्ताओं (भूतपूर्व सैनिक) / रेक्सको से पंजीकृत प्लेसमेन्ट एजेन्सीयों से आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	नाम कार्य	अनुमानित लागत	प्रतिभूति राशि	निविदा शुल्क	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय
1	सिक्योरटी मैनजॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत्।	4,36,000	8,720 /–	500 /–	30.10.2019 दोपहर 02.00 बजे

1. निविदा की विस्तृत सूचना एवं शर्ते कार्यालय के नोटिस बोर्ड, विभागीय वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in, WWW.sppp.rajasthan Portal पर उपलब्ध है।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

क्रमांकः–कि.गृह / निविदा / 2019–20 / 246–50 दिनांक :– 16/10/19

प्रतिलिपि निम्न को डी.पी.आर. दरों पर प्रकाशन हेतु :–

1. संवाददाता जागरूक टाईम्स, जालोर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन एक राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्र में जिनकी प्रकाशित प्रतियों की संख्या 50 हजार प्रतियों से अधिक हो उसमें तथा एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम जगह में डी.पी.आर दरों पर न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
2. श्रीमान् आयुक्त एवं शासन सचिव निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. श्रीमान् सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जालोर।
5. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा / जिला परिषद / जिला कलक्टर कार्यालय।

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

राजस्थान–सरकार

कार्यालय अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

क्रमांकः–कि.गृह/निविदा/2019–20/ 251 दिनांक :– 16/10/19

–:: निविदा आमंत्रण सूचना 03/2019–20::–

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा Rajasthan Transparency In Public Procurements Act 2012 तथा Rajasthan Transparency In Public Procurements Act 2013 के तहत अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर में जॉब बेसिस पर कार्य हेतु वर्ष 2019–20 (01.11.2019 से 31.03.2020 तक) कराने हेतु इच्छुक श्रम आपूर्ति कर्ताओं (भूतपूर्व सैनिक)/रेक्सको से पंजीकृत प्लेसमेन्ट एजेन्सीयों से निम्नानुसार निविदाऐं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	जॉब कार्ड का संक्षिप्त विवरण	अनुमानित लागत	2 प्रतिशत अमानता राशि
1	सिक्योरटी मैन जॉब बेसिस पर उपलब्ध कराने बाबत्।	4,36,000	8720/–
2	निविदा शुल्क	500/–	—

–:: निविदा कार्यक्रम ::–

1	प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि व समय	21.10.2019	दोपहर 12:00 बजे
2	निविदा शुल्क एवं निविदा दस्तोवज प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि व समय	30.10.2019	दोपहर 12:00 बजे
3	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि व समय	30.10.2019	2.00 PM

निविदा दस्तावेज मय शर्ते sjerajasthan.gov.in व Sppp.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी निविदा उन्हीं निविदादाताओं की खोली जायेगी जिनके द्वारा दिनांक 30 अक्टुबर 2019 को दोपहर 12.00 बजे तक निविदा शुल्क की राशि निविदा प्रतिभूमि राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट जो की **"अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर"** के नाम तथा निविदा प्रक्रिया शुल्क राशि 500/– रूपये डिमाण्ड ड्राफ्ट अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर के नाम से कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। तकनीकी निविदा खोलने की तिथि को अवकाश घोषित हो जाने पर अगले कार्य दिवस को निविदा खोली जावेगी। उक्त निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

UBN No. ....

अधीक्षक
राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह
एवं बाल अधिकारिता विभाग, जालोर

प्रपत्र :–'ब'

अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह में जॉब बेस पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाने हेतु निविदा फॉर्म

1.	फर्म का नाम	
2.	निविदादाता का नाम	
3.	निविदादाता का पुरा पता	
4.	एजेन्सी का रजिस्ट्रेशन नम्बर (रजिस्ट्रेशन की प्रमाणित प्रति संलग्न करे)	
5.	स्पेसीफिकेशन के अनुसार मानव संसाधन संविदा पर लगाने की मासिक दर रूपये	
6.	निविदा की सभी शर्ते मान्य है	
7.	बोलीदाता /संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण	

क्र.स	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	सलग्नक क्रमांक
1.	The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1970				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
5.	आयकर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यक संस्था अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

3 – संवेदक के माध्यम से सेवाओं के लिए उपापन के लिए निविदा में दरे निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

क्र.स	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित लागत	श्रम विभाग/विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदुरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर 13.61 प्रतिशत	ESI दर 4.75 प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	09
1.	सिक्योरटी मैन	06	6058 प्रतिमाह		नियमानुसार	नियमानुसार		

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1, 4, 6 व 7 की पूर्तिया संबधित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5 8 एवं 09 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टिया अंकित की जा सकेगी ।

(निविदादाता के हस्ताक्षर)

–:: तकनीकी बिड (स्टेज–I) ::–

विषय :– जॉब बेसिस पर सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने बाबत्।

1. निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता :– ....।
2. निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाईल नम्बर :– ....।
3. निविदादाता का ई–मेल एड्रेस :–..।
4. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक :– .... दिनांक ....
5. हम अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, जालोर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या ....दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।
6. संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण :–

क्र.सं.	प्रमाण पत्र का प्रकार	हॉ या नही
1	निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 500/–जमा कराने का डिमाण्ड ड्राफ्ट नम्बर/बैकर्स चैक न. .... दिनांक .... राशि ....प्रस्तुत किये जाने का विवरण।	
3	सूचना में अंकित अमानत राशि रू. ..../– का डिमाण्ड ड्राफ्ट न./बैकर्स चैक नं. .... दिनांक .... राशि रूपये .... का विवरण	
4	कार्य अनुभव प्रमाण पत्र	
5	पेन कार्ड (आयकर)	
6	पी.एफ पंजीयन प्रमाण पत्र	
7	ई.एस.आई पंजीयन प्रमाण पत्र	
8	जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र	

5. हमारे द्वारा निम्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये है :–
   1. ....
   2. ....
   3. ....
6. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई है।
7. निविदा शुल्क ई–निविदा प्रक्रिया शुल्क तथा अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक मूल रूप में (भौतिक रूप से) निर्धारित अवधि तक अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर में जमा होने की स्थिति में ही निविदा खोली जावेगी। कृपया इसका विशेष ध्यान रखे तथा उक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक की स्के कॉपी निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

हस्ताक्षर निविदादाता

<u>नोट</u> :–

1. उपरोक्त सारणी में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत किये है अथवा नहीं उसके आगे हां या नही/उसके जारी होने की तिथि/वैद्यता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
2. निविदा भरने की प्रक्रिया :–
   1. परिशिष्ट "अ" तकनीकी बिड है तकनीकी बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक पृष्ठ डिजिटल हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत करे।
   2. परिशिष्ट "ब"प्राईस बिड है तकनीकी निविदा में पाये गये योग्य निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
   3. तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा पृथक–पृथक फोल्डर बना कर प्रस्तुत की जावे।

:: सुरक्षा गार्ड के कार्य का विवरण ::–

1. आवासी बालकों के लिये 24 घण्टे सुरक्षा का कार्य करना।
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं आदर्श नियम 2016 (समय-समय पर संशोधित) की पालना सुनिश्चित करना।
3. संमेकित बाल संरक्षण योजना (समय–समय पर संशोधित) की पालना सुनिश्चित करना।
4. निदेशालय द्वारा जारी सुरक्षा संबंधी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।
5. गृह आवक–जावक रजिस्ट्रर/विजिटर रजिस्ट्रर का संधारण करना।
6. आवासी बालकों के अलावा बाहरी बालकों का निषेध होगा।
7. आवासी बालकों को परिजनों से मिलवाने का रजिस्ट्रर में इन्द्राज करना होगा।
8. अधीक्षक द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार सुरक्षा (चौकीदारी) से संबंधी कार्य करना।
9. गृह में तैनात सुरक्षा कर्मी को गृह की बाल निति (समय–समय पर संशोधित) की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
10. तैनात सुरक्षा कर्मी को किसी प्रकार का मादक पदार्थ सेवन न करे एवं नहीं गृह में आवासित बालकों को करने दे।
11. गृह में गठित किसी भी प्रकार की अवाछनीय घटना की जानकारी तत्काल अधीक्षक/स्टॉफ को सूचित करानी होगी।
12. गृह में विधि से संघर्षरत बालकों से उनके साथ घटीत कर्म की जानकारी न पुछे।
13. तैनात सुरक्षा कर्मी को सुनिश्चित करना होगा की गृह में प्रवेशित व्यक्ति का इन्द्राज कर लिया गया है। जिसकी जानकारी सुरक्षा कर्मी के पास उपलब्ध हैं।
14. गृह में आवासित विधि से संघर्षरत बच्चों की किसी प्रकार की विडियों ग्राफी एवं फोटोग्राफी नहीं होने देना।
15. अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई/निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर के निर्देश की पालना सुनिशिचित करना।
16. गृह की निजि सम्पत्ती की सुरक्षा का दायित्व सुरक्षा गार्ड का होगा।
17. गृह मे तैनात सुरक्षा कर्मी को गृह की गोपनियता एवं संवेदनशिलता को बनाए रखना होगा ध्यान रहे की गृह में आवासित बालकों के नाम एवं अन्य की जानकारी किसी के साथ साझा न हो।
18. गृह में विधि से संघर्षरत एवं विशेष देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को पृथक पृथक रखे जाने की व्यवस्था है जिसे सुरक्षा कर्मी द्वारा बनाए रखे जाने का दायित्व होगा।
19. गृह में स्टॉफ/उच्च अधिकारी/सदस्य किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के अलावा किसी अन्य के प्रवेश का इन्द्राज मूवमेन्ट रजिस्टर में इन्द्राज कराना आवश्यक होगा।
20. कार्यरत समस्त सुरक्षाकर्मी का पुलिस सत्यापन आवश्यक होगा।
21. ऐसे किसी भी कार्मिक को नियुक्त न करे जिससे गृह की सुरक्षा मे असक्षमता प्रकट हो ,व्यक्ति पूर्णता स्वस्थ हो।
22. नियुक्त कार्मिक की वेशभूषा/आचरण गृह के अनुकुल होना चाहिए गृह मे नियुक्त कार्मिक को किसी प्रकार की वर्दी स्वीकार नही होगी कार्मिक को सीवील ड्रैस में अपनी उपस्थिति देनी होगी।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 लगायत 22 को भली भांति पढ लिया एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

-:: निविदा की सामान्य शर्ते ::-

1. कार्य की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से 31.01.2020 तक के लिए मान्य होगी। जिसे अधीक्षक द्वारा तीन माह के लिए बढाया जा सकता है। जिसके लिये अनुबंधित फर्म कार्य करने के लिए बाध्य है इसके उपरांत दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ठेका अवधि बढाई जा सकती है।
2. निविदादाता/संस्था/फर्म/एजेंसी को पूर्व में राजकीय कार्यालयों के अर्द्धशासकीय कार्यालयों में या अन्य संस्थाओं में निविदा में उल्लेखित कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिया निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत करनी है।
3. निविदादाता को निविदा सूचना में अंकित अमानता राशि का बैक ड्राफ्ट/बैकर्स चैक जो कि अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,जालोर शाखा जालोर में भुगतान योग्य निविदा के साथ जमा करना होगा। सफल निविदादाता को निविदा मूल्य की 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि निविदा स्वीकृति के 5 दिवस में जमा करानी होगी। अन्यथा अमानता राशि जब्त करली जायेगी। अमानता का प्रतिभूमि राशि में समायोजन कर लिया जायेगा। द्वितीय न्यूनतम दर निविदादाता की अमानता राशि रोक कर शेष निविदादाताओं को आवेदन करने पर अमानता राशि लौटा दी जाएगी। अमानता राशि के बिना प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
4. सफल निविदादाता द्वारा अवयस्क एवं अशक्त व्यक्तियों को कार्य पर नही लगाया जाएगा।
5. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
6. सेवा प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या कोई त्रुटि पाये जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति को होगा।
7. दरों को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार विभागीय क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा।
8. ई.एस.आई. व पी.एफ. विभाग में पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ अपलोड करने हों। निविदादाता द्वारा जी.एस.टी. नम्बर का पंजीकरण संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता को निविदा कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को ठेका सबलेट नही करेगा।
10. निविदा की शर्तो का उल्लंघन होने पर बिना नोटिस दिये निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
11. निविदा के संबंध में अन्य कोई शर्ते मान्य नही होगी। सशर्ते निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा।
12. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियो से लिप्त पाये जाने अथवा अनापेक्षित आचरण करने संबंधित शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य प्रकार से प्रशासन के ध्यान में आने पर यदि प्रशासन उस कर्मकार को हटाने का निर्देश सेवा प्रदाय कर्ता को देता है तो निविदादाता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा तथा अन्य व्यवस्था करनी होगी।
13. निविदादाता द्वारा जॉब कार्य हेतु उपलब्ध करवाये गये कर्मकारों के आचरण एवं उसके द्वारा किये गये कार्य के लिए पूर्ण रूप से निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को अपने कर्मकारो को पहचान/परिचय पत्र उपलब्ध कराने होंगे।
14. अधीक्षक/जिला अधिकारी द्वारा निविदा से संबंधित कोई भी सूचना सेवा प्रदाय कर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी। इस हेतु निविदादाता को कार्य स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि ठेकेदार के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड दॉ क्लॉक अधीक्षक

के सम्पर्क में रहेगा एवं प्रशासन के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वासले दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

15. सफल निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराये गये कर्मकार किसी भी स्थिति में नियमित नियुक्ति के पात्र नही होगे।
16. सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश में वर्णित कार्य सम्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मकार उपलब्ध करवाये जाऐंगे। यदि किसी समय निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार कार्मिक उपलब्ध नही करवाये जाने पर सुरक्षा का कार्य संतोषजनक नही होने पर अनुमोदित राशि के आधार पर गणना कर उक्त कटौती के साथ आंकलित राशि की 10 प्रतिशत राशि शास्ति के रूप में बिल से काटी जाएगी।
17. निविदादाता के श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधनों की पालना करने का दायित्व निविदादाता का होगा, पालना नही करने की स्थिति में जिलाधिकारी/अधीक्षक को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत कोई लाईसेंस या अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह निविदादाता स्वयं के खर्चे पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। निविदादाता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकॉर्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के मांगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
19. निविदा अनुमोदित होने पर संबंधित संस्था/फर्म/एजेंसी द्वारा रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध प्रस्तुत करना होगा जिसका व्यय संबंधित निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुमोदित कार्य राशि की 2 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी /बी.सी. जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज नही दिया जाएगा।
20. निविदादाता द्वारा अपने कर्मकारों को प्रत्येक माह की 7 तारीख तक उनकी मजदूरी का भुगतान आवश्यक रूप से बैंक खाते के माध्यम से ही करना होगा चाहे अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह जालोर अथवा जिला अधिकारी से किसी भी कारण से देरी से भुगतान प्राप्त क्यो न हो। निविदादाता जिस दिन व समय पर श्रमिको को पारिश्रमिक का भुगतान करना निश्चित करेगा। यह दिन व समय कार्यालय को अनुबंध प्रारंभ होते ही सूचित करेगा।
21. निविदादाता द्वारा कार्य बीच में छोडने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में निविदादाता को स्वीकृत निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार विभागीय क्रय समिति का होगा।
22. निविदादाता द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त दायित्व, क्षतिपूर्ति मुआवजा आदि देने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एंव किशोर गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई जिम्मेदार नही होगा।
23. यदि निविदादाता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कर्मकार न्यायालय में आनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एंव किशोर गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई/प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एंव किशोर गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई/प्रशासन पर पडने वाला समस्त भार निविदादाता से वसूला जाएगा।

24. यदि निविदादाता एवं उसके कर्मकारों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एंव किशोर गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई/निदेशालय बाल अधिकारिता विभाग के प्रशासन का कोई दायित्व नही होगा।
25. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह,जालोर का निर्णय अंतिम होगा व निविदादाता को मानना होगा।
26. पद आवश्यकता होने अथवा न होने की स्थिति में पदों की संख्या घटाई एवं बढाई जा सकती है जिसका पूर्ण अधिकार अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह का होगा।
27. राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह है, जिला अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह जिले के अंदर किसी भी गृह मे चौकीदार का कार्य करवाने/हटाने हेतु निविदादाता को आदेशित करेगा तथा निविदादाता को इन आदेशों के अनुरूप ही कार्य करना होगा।
28. निविदादाता के बिलों के भुगतान में से केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेश/संशोधन आदेशों के अनुरूप टी.डी.एस., जी.एस.टी. अथवा अन्य करों की कटौती की जावेगी।
29. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिलों में प्रतिव्यक्ति दर , सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के कमीशन के साथ साथ ईपीएफ एवं ईएसआई (समय–समय पर संशोधित)को सम्मिलित कर अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर में प्रस्तुत करना होगा।
30. निविदादाता बिल में ईपीएफ एवं ईएसआई अंकित राशि निविदादाता स्वयं को कर्मचारी के ईपीएफ/ईएसआई एकाउन्ट में जमा करवानी होगी उक्त जमा राशि का विवरण आगामी बिल के साथ संलग्न कर अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण किशोर गृह को प्रस्तुत करने होगे, विवरण के अभाव मे बिल पारित किया जाना संभव नहीं होगा।
31. प्रशासनिक दृष्टि से नियमित राजकीय कर्मचारियों के पदस्थापन अथवा स्थानान्तरण से उपरोक्त गृहो में जॉब कार्य करवाने की स्थिति में परिवर्तन होने पर स्वीकृत निविदादाता को जिला अधिकारी के दिये गये निर्देशों के अनुसार जॉब कार्य गह में करवाने के लिये बाध्य होगा।
32. निविदादाता को सर्विस चार्ज की राशि समस्त करों सहित प्रस्तुत करनी होगी।
33. अधीक्षक राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह/जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किसी भी प्रकार का कर जीएसटी/टीडीएस/अन्य कर देय नहीं होगा ,सभी प्रकार के करो का वहन निविदादाता द्वारा किया जावेगा।
34. किसी प्रकार का विवाद होने पर कानूनी कार्यवाही संबंधित जिला न्यायालय में ही होगी।

मैंने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्त संख्या 1 से 34 तक को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप निविदा की सामान्य शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र परिशिष्ट "अ" एवं परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता

घोषणा पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते है कि हमने निविदा शर्तो के विरूद्ध कोई शर्ते नही लगाई है यदि कही अंकित कर दी गई है, तो निविदा स्वतः अस्वीकार मानी जायेगी।

यह है कि श्रम विभाग में श्रमिक सप्लाई करने हेतु पंजीकृत है जिसका पंजीयन संख्या .... दिनांक .... है। यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो विभाग अन्य कार्यवाही के अलावा धरोहर राशि जब्त कर सकेगा। और यदि निविदा स्वीकृत कर ली गई तो उसे निरस्त कर अमानत राशि (सिक्यूरिटी) जब्त कर लेगा।

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम एवं पता